न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/116

1. बृजमोहन आत्मज नन्दा जाति धाकड ।
2. प्रियांशु नागर अवयस्क पुत्र कौशल किशोर जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी बाई जाति धाकड ।
3. ऋषभ नागर अव्यस्क पुत्र कौशल किशोर जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी बाई जाति धाकड ।
4. कौशल किशोर आत्मज बृजमोहन जाति धाकड निवासीगण ग्राम आडागेला उर्फ हरि नगर, तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज बृजमोहन जाति धाकड निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. हेमन्ता पुत्री बृजमोहन पत्नी प्रेमशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 19.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण कम 01 लगायत 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चक खेडलीपेमा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 36 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 84/19 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 86/33 रकबा 0.88 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 3.25 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 596/493 रकबा 0.75 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी कम 01 की खातेदारी में अंकित है । उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही संभाग से 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । प्रार्थीगण के पितामह श्री नन्दा जी के उपरान्त उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 के तन्हा खाते में दर्ज कर दी गई थी जो त्रुटिपूर्ण है । प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्सा अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी कम 01 उक्त भूमि को अपने नाम त्रुटिपूर्ण अंकन होने से अप्रार्थीगण कम 2 व 3 के पक्ष जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 09.07.2021 से दान कर दी । उक्त दान पूर्णतया अवैध व त्रुटिपूर्ण है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वाद दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने दें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.07.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.2021 नियत कर दी ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.07.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का एकमात्र खातेदार अपीलान्ट कम 01 है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त खातेदारी के अनुसार अपनी आराजी का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अपीलान्ट कम 01 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग कर दिनांक 09.07.2021 को अपीलान्ट कम 2 व 3 के पक्ष में दानपत्र का पंजीयन करवाया है जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने के बावजूद भी दानपत्र एवं कब्जे के तथ्य को छुपाकर एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.04.2022 को अपने वकील साहब के बताने पर हुई । उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 02.05.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हक अधिकार निहित नहीं है । वादग्रस्त आराजी का एकमात्र खातेदार अपीलान्ट कम 01 है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त खातेदारी के अनुसार अपनी आराजी का उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अपीलान्ट कम 01 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग कर दिनांक 09.07.2021 को अपीलान्ट कम 2 व 3 के पक्ष में दानपत्र का पंजीयन करवा है जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने के बावजूद भी दानपत्र एवं कब्जे के तथ्य को छुपाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई थी । परीक्षण न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर अपीलान्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2012 (1) पेज 350 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 14.07.2021 को अंतरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया और प्रस्तुत प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.2021 नियत कर दी। चूँकि परीक्षण न्यायालय के द्वारा

दिनांक 14.07.2021 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 16.08.2021 की आगामी तारीख नियत की गई है जो कि 01 माह से अधिक की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 के मध्यनजर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.07.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.10.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । उभय पक्षकारान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित किये जाने तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

13. निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा